



RBI के गैर-अनुपालन संबंधी आदेशों पर चर्चा

प्रलिस के लयः

RBI, बैंकग वनलडडन अधनलडडन, 1949, SEBI, IRDAI, SAT, अडलीड नुडडडधकरण, बैंकग लुकडडल ।

डेनुस के लयः

गैर-अनुडडलन डर RBI के आदेशों डर चरुतलँ ।

चरुचल डें करुडें?

जनवरी 2020 से [डररुतुड ररुडरुड बैंक](#) (RBI) ने कुऑ नरुदेशों के डुरलवधलनों के उलुलुघन के लडडे बैंकों से ऑुडे 48 डडललों डें 73.06 करोड रुडड का डुडरुकरु डुरुडडल लगलडडल है ।

- डररुतुड ररुडरुड बैंक [बैंकग वनलडडन अधनलडडन, 1949](#) की धरलर 35क के अंतुरगत कतडडड उडडंधों कल अनुडडलन न करुने डर बैंकों को दंडतल करतल है ।

डररुतुड ररुडरुड बैंक के आदेश संबंघी डडसुडलँ:

- जनकलरी तक वरलल डहुँऑ:
 - बैंकों के गुरलहकों और नवलशकों के डडस बैंकों धवलरल RBI के नरुदेशों कल अनुडडलन न करुने के डररे डें जनकलरी तक वरलल डहुँऑ है ।
 - अनुड वतलतुड नडडडककों के डडललों के वडररुतुड RBI केवल उस इकरुड कल ववररण डुरदलन करतल है ऑसललुलुघन के लडडे दंडतल कडडल ऑरहल है ।
- डकषुओं की डलत को अनसुनल करनल:
 - RBI अडने आदेशों डें न केवल कररण और वसलतुत सुडडुडुकरण देतल है, **डलकड डकषुओं की डलत को अनसुनल डी करतल है ।**
 - कसलुड डी गैर-अनुडडलन के लडडे दु अनुड नडडडककों, **डुडडल नडडडक और वकलस डुरलधकरण (Insurance Regulatory and Development Authority- IRDAI)** तथल **डररुतुड डुरतडुडतुड एवं वनलडडड डुरडुड (Securities and Exchange Board of India- SEBI)** धवलरल ऑरु दंड आदेश अधकल वसलतुत है, सलथ डी इसडें उलुलुघन और इसके तरुडके के संचललन संदरुड डें अधकल जनकलरी शलडलल है ।
 - SEBI संबंघतल डकषु को सुनतल है डल कररुवडुड करुने से डहले कड-से-कड उनुहें सुडडुडुकरण देने कल कुऑ अवसर देतल है तथल संतुषुट नुडी होने डर संबंघतल डकषु SEBI के डुडसले को डुरतडुडतुड अडलीड नुडडडधकरण डें ऑुनौतुड डी दे सकतल है ।
- RBI के आदेशों को ऑुनौतुड नुडी डी ऑल सकतुडल:
 - वरुतडलन डें, RBI एकडलतुर ऐसी नडडडक संसुथल है **ऑसलके डडस अडलीड नकलड नुडी है ।**
 - ऑुँक RBI डें अडल नुडी कर सकते**, इसलडडल RBI के आदेशों को गुण-दुष के आधलर डर ऑुनौतुड नुडी डी ऑलतुड । वनलडडडक डुरणलल डें इस तरुह की वुडवसुथल के सलथ **RBI आसलनी से कररण और सुडडुडुकरण** दडड डनल केवल एक सरसरुड डल डुरुखुड आदेश डलरतल करके डक संकतल है ।
 - लेकनल RBI के डडस **बैंकग लुकडडल** की एक डुरणलल है ऑरु डलँ एक डुडुडतुड बैंक गुरलहक बैंक से ववलद डल उसके अनुऑतल करुडुडों और सेवलऑुड डर डुरशुन उऑल सकतल है ।
- RBI के तरुक:
 - ऑल RBI कसलुड बैंक डें डुरुड कसलुड अनडडडतलतल डर आदेश डलरतल करतल है, तल वलह आडतुडर डर वनलडडन के कुऑ खंडुडुडें **डलडड-धलरलऑुड कल संदरुड देतल है** ऑसलके तलहत गैर-अनुडडलन हुआ है । इसलडडल डलरतल आदेश डें और वसलतलर की आवशुडकतल नुडी हुतुडी है ।
 - RBI को अडने आदेशों डें सडुड ववररण सलरुवजनकल नुडी करुने ऑलहडडल । **इससे लुगुडुड के डन डें अनलवशुडक डड डुडल हुु संकतल है और बैंकों डर से उनकल वशलवस उऑ सकतल है ।**

बैंकग वनलडडन अधनलडडन, 1949:

- यह भारत में **बैंकगि फ़रमों** को नर्यितरति करता है। इसे **बैंकगि कंपनी अधनियिम 1949** के रूप में पारति कयिा गया था और 1 मार्च, 1966 से इसे बैंकगि वनियिमन अधनियिम, 1949 में बदल दयिा गया था।
- यह **अधनियिम RBI को वाणज्यिकि बैंकों को लाइसेंस जारी करने**, शेयरधारकों की शेयरधारति और मतदान अधिकारों को वनियिमति करने, बोर्डों तथा प्रबंधन की नयुक्ति की नगिरानी करने, बैंकों के संचालन को वनियिमति करने, ऑडिट के लयिे नरिदेश देने, अधस्थगन, वलिय एवं परसिमापन को नर्यितरति करने का नरिदेश जारी करने का अधिकार देता है। **लोक कल्याण और बैंकगि नीति के हति में आवश्यकता पड़ने पर बैंकों पर जुर्माना लगाते हैं।**
- वर्ष 2020 में सरकार ने बैंकगि वनियिमन अधनियिम, 1949 को बदलने के लयिे एक अधयादेश पारति कयिा जिससे **सभी सहकारी समतियिाँ रजिर्व बैंक की नगिरानी में आ गईं, ताककि जमाकर्त्ताओं के हतिाँ की ठीक से रक्षा की जा सके।**

आगे की राह

- RBI के आदेशों को चुनौती देने के लयिे सेबी के पास इसी तरह की एक अपीलीय व्यवस्था की आवश्यकता है।
- शासन और नीतिविशेषज्ञों का कहना है कि हतिधारकों को सूचति रखने की आवश्यकता है और एक अपीलीय प्राधकिरण इस उद्देश्य की पूरत्किर सकता है।
- नयिमक के लयिे स्पीकगि ऑर्डर पारति करना बहुत महत्त्वपूर्ण है ताककि इसे पढ़ने वाला कोई भी व्यक्त इस मुद्दे को जान सके और समझ सके **किक्या गलत हुआ तथा इसे कैसे ठीक कयिा जा सकता है।**
- RBI के एक वसितृत आदेश से व्याख्या की संभावना बढ़ सकती है, जिसका अगर सही विश्लेषण नहीं कयिा गया तो बैंकगि प्रणाली में विश्वास समाप्त हो सकता है।
- **परतभित्ति अपीलीय न्यायाधकिरण (Securities Appellate Tribunal- SAT)** की तरह, RBI के आदेशों को चुनौती देने के लयिे एक अपीलीय प्राधकिरण की आवश्यकता है। एक बार आदेश अपील योग्य होने के बाद, अपीलीय नकिाय पूरी मेरटि पर गौर करेगा।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा पछिले वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न: भारत में 'शहरी सहकारी बैंकों' के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजयिे:

1. उनका पर्यवेक्षण और वनियिमन राज्य सरकारों द्वारा स्थापति स्थानीय बोर्डों द्वारा कयिा जाता है।
2. वे इक्वटिी शेयर और वरीयता शेयर जारी कर सकते हैं।
3. उन्हें 1966 में एक संशोधन के माध्यम से बैंकगि वनियिमन अधनियिम, 1949 के दायरे में लाया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- सहकारी बैंक वत्तिय संस्थाएँ हैं जो इसके सदस्यों से संबंधति हैं साथ ही इसके सदस्य एक ही समय में अपने बैंक के मालकि और ग्राहक भी हैं। वे राज्य के कानूनों द्वारा स्थापति हैं।
- भारत में सहकारी बैंक, सहकारी समति अधनियिम के तहत पंजीकृत हैं। वे RBI द्वारा भी वनियिमति होते हैं और बैंकगि वनियिम अधनियिम, 1949 तथा बैंकगि कानून (सहकारी समतियिाँ) अधनियिम, 1955 द्वारा शासति होते हैं। **अतः कथन 3 सही है।**
- सहकारी बैंक उधार देते हैं और जमा स्वीकार करते हैं। वे कृष और संबद्ध गतविधियिाँ के वत्तितपोषण और ग्राम और कुटीर उद्योगों के वत्तितपोषण के उद्देश्य से स्थापति कयिे गए हैं। राष्ट्रीय कृष और ग्रामीण वकिास बैंक (NABARD) भारत में सहकारी बैंकों का शीर्ष नकिाय है।
- शहरी सहकारी बैंकों को एकल-राज्य सहकारी बैंकों के मामले में सहकारी समतियिाँ के राज्य रजसिट्रार और बहु-राज्य के मामले में सहकारी समतियिाँ के केंद्रीय रजसिट्रार (सीआरसीएस) द्वारा वनियिमति एवं पर्यवेक्षण कयिा जाता है। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- भारतीय रजिर्व बैंक ने प्राथमकि शहरी सहकारी बैंकों को इक्वटिी शेयर, अधमिानी शेयर और ऋण लखित जारी करने के माध्यम से पूंजी बढ़ाने की अनुमतति देते हुए मसौदा दशिा-नरिदेश जारी कयिे।
- शहरी सहकारी बैंक सदस्यों के रूप में नामांकति अपने परचालन क्षेत्र के व्यक्तियिाँ को इक्वटिी जारी करके और मौजूदा सदस्यों को अतरकिक्त इक्वटिी शेयरों के माध्यम से शेयर पूंजी जुटा सकते हैं।
- भारतीय रजिर्व बैंक ने प्राथमकि शहरी सहकारी बैंकों को इक्वटिी शेयर, अधमिानी शेयर (प्रेफरेंस शेयर) और ऋण उपकरण जारी करने के माध्यम से पूंजी बढ़ाने की अनुमतति देते हुए मसौदा दशिा-नरिदेश जारी कयिे।
 - शहरी सहकारी बैंक सदस्यों के रूप में नामांकति अपने परचालन क्षेत्र के व्यक्तियिाँ को इक्वटिी जारी करके और मौजूदा सदस्यों को

अतरिकित इक्वटी शेयरों के माध्यम से शेयर पूंजी जुटा सकते हैं। अतः कथन 2 सही है।

अतः विकल्प (B) सही उत्तर है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/concerns-over-rbi-orders-on-non-compliance>

